

डिकी बमूकहमें इन्तदाई  
(आदेश 20 नियम 6.7 जाबा दीवानी)  
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-फरडोद  
राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार-2018  
मु0न0 279/2017

वादीगण-

1. भुगानाराम
2. राधाकिशन
3. रामकिशोर
4. रामचन्द्र पुत्रगण रामदेव जातियान जाट निवासीगण फरडोद तहसील जायल जिला नागौर।

प्रतिवादीगण-

1. रामदेव पुत्र परसाराम
2. सीतादेवी पुत्री रामदेव जातियान जाट निवासीगण फरडोद तहसील जायल जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53  
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 भुगानाराम के हक बंट में मौजा फरडोद का खेत ख नं 36 रकबा 15.10 बीघा में से 09 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 राधाकिशन के हक बंट में मौजा फरडोद का खेत ख नं 36 रकबा 15.10 बीघा में से 06.10 बीघा पश्चिमी भाग , ख नं 156 रकबा 11.11 बीघा , ख नं 1267/1992 रकबा 12.07 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 रामकिशोर के हक बंट में मौजा फरडोद का खेत ख नं 34 रकबा 18.05 बीघा , ख नं 35 रकबा 18.19 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 4 रामचन्द्र के हक बंट में मौजा फरडोद का खेत ख नं 1384/1993 रकबा 09.14 बीघा , ख नं 1390/1994 रकबा 16.07 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामदेव एवं सीतादेवी के सामलाती हक बंट में मौजा फरडोद का खेत ख नं 2097/222 रकबा 10.08 बीघा , ख नं 943/1795 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकीन बाड़ा, ख नं 943/1799 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकीन बाड़ा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिक्की पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।  
लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगो तक x को अदा करे। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.05.2018 को जारी किया गया।

मुकद्दमा	रुपये	पैसे	मुधयला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अजी दावा स्टाम्प यकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिक			स्टाम्प यकालतनामा स्टाम्प अजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमी"नर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिक		


नोट :- इस खर्च के काम पर कुल खर्चा यह दो फरडोद को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

बन्ध सदस्य  
राजस्व लोक अदालत  
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसाद)  
उपखण्ड अधिकारी, जायल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत- फरडोद  
क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/294 दिनांक- 22.5.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्री आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी, जायल  
जायल, जिला नागौर